रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/95 REGD. NO. D.L.-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 1995/ज्येष्ठ 25, 1917
No. 344] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 1995/JYAISTHA 25, 1917

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 1995

का. आ. 544(अ).—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि उक्त माडल लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा,

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पी. एस. सीरीज टाइप (जिसे इसमें इसके पश्चात माडल कहा गया है) के स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तोलन उपकरण के माडल का जिसका विनिर्माण 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले मैसर्स इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स एण्ड कम्प्यूटर कम्पनी, बी-161, पीनया इण्डस्ट्रियल इस्टेट बैंगलौर-560058 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी. 09/94/31 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है,



1416 GI/95

माडल (आकृति देखिए) एक माध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) का पी॰ सी॰ आधारित तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 5 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तर (ई) 2 ग्राम है । इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है । उपकरण की बाँडी धातु शीट की बनी है । भारग्राही स्टेनलेस 300 × 360 मि॰ मी॰ है । वैयक्तिक कम्प्यूटर का मानीटर तौल परिणाम उपदर्शित करता है । यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्योवर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है ।

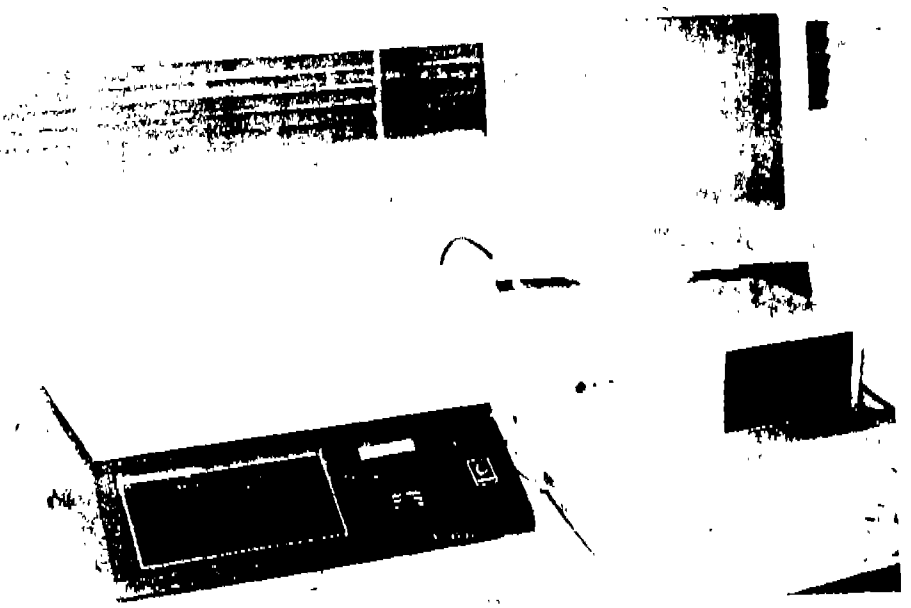
[फा॰ सं॰ डब्ल्यू॰ एम॰ 21(15)/92]
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS, AND PUBLIC DISTRIBUTION

NOTIFICATION
New Delhi, the 12th June, 1995

S.O. 544(E).--Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weight and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of self-indicating non-automatic PC based weighing instrument type PS series (herein after referred to as the Model) manufactured by M/s Electronic Calculators & Computers Co., B-161, Peenya Industrial Estate, Bangalore-560058 with mixiumum capacity of 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg and 30 kg and which is assigned the approval mark IND/09/94/31;



figure

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) PC based weighing instrument with a maximum capacity of 5 kilogram and minimum capacity of 40 gram. The verification scale interval (e) is 2 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The body of the instrument is made of metal sheets. The load receptor is of stainless sheets of size 300 X 360 millimetre. The Monitor of the Personal Computer indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz, alternate current power supply.

[F. No. WM-21(15)/92]
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt, of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995